राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 4(10) पंरावि/पीपी/जीकेएन/2014–15 जयपुर दिनांक 11 अप्रेल, 2016

–::स्थायी आदेश संख्या–27/2016 ::–

विभागीय स्थायी आदेश संख्या 24/2015 दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 के द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ग्रामीण कार्यकारी निर्देशिका–2015 के बिन्दु संख्या 24.8 के अन्तर्गत कार्यकारी संस्था (कार्य निष्पादन संस्था) की अन्य संस्थाओं की श्रेणी में जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के कार्य कराने के लिए अधिकृत जलग्रहण समिति को जोडा गया था।

उक्त आदेश विभागीय परिपत्र संख्या 17/2015 के द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 भाग–1 को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4(10) पंरावि/पीपी/जीकेएन/2014–15 दिनांक 22.12.2015 द्वारा स्थगित कर ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 प्रभावी की गई हैं।

अतः ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 2.3 में वर्णित कार्यकारी संस्था सम्बंधित योजना की मार्ग दर्शिका के प्रावधान अनुसार होने का उल्लेख है। इस क्रम में जलग्रहण विभाग एवं भू–संरक्षण सम्बंधी कार्यो के लिए भारत सरकार/जलग्रहण विभाग एवं भू–संरक्षण विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार के कार्य कराने के लिए अधिकृत जलग्रहण समिति को भी कार्यकारी संस्था की श्रेणी में जोडा जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव , ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव , ग्रावि।
3. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
9. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
10. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अभियंतागण, ग्रा.वि.एवंपं.रावि/ईजीएस जयपुर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि